

नगर निवाजक
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
नीलगिरी कांफ्लैक्स लखनऊ।
विषय मैसर्स प्रतीक रियल्टर्स प्रा० लि०, द्वारा प्लॉट न०-०४/बीएस-०१ व ०४/बीएस-०५, सिद्धार्थ विहार एन०एच०-२४ जिला गाजियाबाद में
प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।
चुआर्डई २०१४ / १९९५ / जीआईडीबी / गाजियाबाद / १६४ / जडी
मासिटर

कथया उपरोक्त विषयक आवेदक के प्राथमिक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट कर जिससे मकदम से प्राप्त आवेदन पत्र का प्रमाण हेतु प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुसंध किया गया है।

प्रमाणित भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद के करवाया गया तथा उनकी जांचका दिनांक ०६-०८-२०१४ का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद द्वारा कर आये। दिनांक ०६-०८-२०१४ अग्निशमन अधिकारी सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को उपलब्ध कराया गयी जिसका उनके द्वारा सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण किया गया तथा अपनी मस्तुकि आरवा अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपलब्ध कराई गयी जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा किया गया प्रस्तावित भवन के मानचित्रों के सम्बन्ध में।

भवन की संरचना:-

- कुल प्लॉट एरिया-१५४,९१६.५१० वर्ग मी०। जिसमें प्लाक/टावर का एरिया विवरण निम्नवत् है।
- प्रस्तावित भूतल कवर्ड एरिया-३९५४२.६६१ वर्गमीटर।
- प्रस्तावित अपर बेसमेण्ट कवर्ड एरिया-१२६८३१.३७० वर्गमीटर।
- प्रस्तावित लोअर बेसमेण्ट कवर्ड एरिया-१२६८३१.३७० वर्गमीटर।

अप. म. म. म. प्लाक/टावर की संख्या

भूतल कवर्ड एरिया

ऊपर कवर्ड एरिया

मान की संख्या

अप. म. म. म. प्लाक/टावर की संख्या

ग्रान्ड बेगोनिया

01	टावर बी१ २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+२८ तल	७५४.५६१ वर्गमीटर	२०२७४.२१४ वर्गमीटर	९०.१५मीटर	१.५० / १.५०
02	टावर बी२ २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+२६ तल	७५४.५६१ वर्गमीटर	१८३३०.८१२ वर्गमीटर	८४.०५मीटर	१.५० / १.५०
03	टावर बी३ २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+२६ तल	५४९.००७ वर्गमीटर	१३४०८.३५२ वर्गमीटर	८४.०५मीटर	१.५० / १.५०
04	टावर बी४ २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+२८ तल	५४९.००७ वर्गमीटर	१४४३४.८०२ वर्गमीटर	९०.१५मीटर	१.५० / १.५०
05	टावर बी५ २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+२६ तल	४९८.७९८ वर्गमीटर	१२०८४.५२५ वर्गमीटर	८४.०५मीटर	१.५० / १.५०
06	टावर बी६ २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+२९ तल	४९८.७९८ वर्गमीटर	१३४७३.११४ वर्गमीटर	९३.२०मीटर	१.५० / १.५०
07	टावर बी७ २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+२६ तल	६४२.८७८ वर्गमीटर	१५९२८.१५२ वर्गमीटर	८४.०५मीटर	१.५० / १.५०

ग्रान्ड कैमेलिया

08	टावर सी१ २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+२८ तल	७५४.५६१ वर्गमीटर	२०१७१.९९१ वर्गमीटर	९०.१५मीटर	१.५० / १.५०
09	टावर सी२ २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+२८ तल	७५४.५६१ वर्गमीटर	१८७३५.६४१ वर्गमीटर	८४.०५मीटर	१.५० / १.५०
10	टावर सी३ २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+२६ तल	५४९.००७ वर्गमीटर	१३४०८.३५२ वर्गमीटर	८४.०५मीटर	१.५० / १.५०
11	टावर सी४ २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+२८ तल	५४९.००७ वर्गमीटर	१४४३४.८०२ वर्गमीटर	९०.१५मीटर	१.५० / १.५०
12	टावर सी५ २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+२६ तल	५४९.००७ वर्गमीटर	१३४०८.३५२ वर्गमीटर	८४.०५मीटर	१.५० / १.५०
13	टावर सी६ २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+२८ तल	५४९.००७ वर्गमीटर	१४४३४.८०२ वर्गमीटर	९०.१५मीटर	१.५० / १.५०
14	टावर सी७ २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+२६ तल	५४९.००७ वर्गमीटर	१३४०८.३५२ वर्गमीटर	८४.०५मीटर	१.५० / १.५०
15	टावर सी८ २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+२६ तल	५४९.००७ वर्गमीटर	१३४०८.३५२ वर्गमीटर	८४.०५मीटर	१.५० / १.५०
16	टावर सी९ २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+२९ तल	४९८.७९८ वर्गमीटर	१३४७३.११४ वर्गमीटर	९३.२०मीटर	१.५० / १.५०
17	टावर सी१० २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+२६ तल	४९८.७९८ वर्गमीटर	१२०८४.५२५ वर्गमीटर	८४.०५मीटर	१.५० / १.५०
18	टावर सी११ २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+२६ तल	५४९.००७ वर्गमीटर	१३४०८.३५२ वर्गमीटर	८४.०५मीटर	१.५० / १.५०
19	टावर सी१२ २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+२८ तल	५४९.००७ वर्गमीटर	१४४३४.८०२ वर्गमीटर	९०.१५मीटर	१.५० / १.५०
20	टावर सी१४ २बेसमेण्ट+स्टिल्ट/भूतल +२९ तल	१२७०.२३० वर्गमीटर	१४४३७.९७१ वर्गमीटर	९३.२०मीटर	१.५० / १.५०
21	टावर सी१५ २बेसमेण्ट+स्टिल्ट/भूतल +२६ तल	१२७०.२३० वर्गमीटर	१३०४९.३५२ वर्गमीटर	८४.०५मीटर	१.५० / १.५०
22	टावर सी१६ २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+२६ तल	७५४.५६१ वर्गमीटर	१८८३०.८१२ वर्गमीटर	८४.०५मीटर	१.५० / १.५०

ग्रान्ड पैटूनिया

23	टावर पी१ २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+२६ तल	५७४.१०४ वर्गमीटर	१४१४३.४५८ वर्गमीटर	८४.०५मीटर	१.५० / १.५०
24	टावर पी२ २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+२८ तल	७५४.५६१ वर्गमीटर	२०२७४.१८६ वर्गमीटर	९०.१५मीटर	१.५० / १.५०
25	टावर पी३ २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+२६ तल	५७४.१०४ वर्गमीटर	१४१४३.४५८ वर्गमीटर	८४.०५मीटर	१.५० / १.५०
26	टावर पी४ २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+२६ तल	७५४.५६१ वर्गमीटर	१८८३०.८१२ वर्गमीटर	८४.०५मीटर	१.५० / १.५०
27	टावर पी५ २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+२८ तल	७५४.५६१ वर्गमीटर	२०२७४.१८६ वर्गमीटर	९०.१५मीटर	१.५० / १.५०

31	टावर पी9, 2वेसमेण्ट+स्टिल्ट+28 तल	533.228वर्गमीटर	14073.587वर्गमीटर	90.15मीटर	1.50/1.50
ग्रान्ड जीनिया					
32	टावर जैड1, 2वेसमेण्ट+स्टिल्ट+26 तल	574.104वर्गमीटर	14143.458वर्गमीटर	84.05मीटर	1.50/1.50
33	टावर जैड2, 2वेसमेण्ट+स्टिल्ट+28 तल	754.501वर्गमीटर	20274.186वर्गमीटर	90.15मीटर	1.50/1.50
34	टावर जैड3, 2वेसमेण्ट+स्टिल्ट+26 तल	751.053वर्गमीटर	18735.641वर्गमीटर	84.05मीटर	1.50/1.50
35	टावर जैड4, 2वेसमेण्ट+स्टिल्ट+26 तल	487.759वर्गमीटर	11904.297वर्गमीटर	84.05मीटर	1.50/1.50
36	टावर जैड5, 2वेसमेण्ट+स्टिल्ट+28 तल	487.759वर्गमीटर	12815.233वर्गमीटर	90.15मीटर	1.50/1.50
37	टावर जैड6, 2वेसमेण्ट+स्टिल्ट+26 तल	642.878वर्गमीटर	15928.152वर्गमीटर	84.05मीटर	1.50/1.50
38	टावर जैड7, 2वेसमेण्ट+स्टिल्ट/भूतल+26	1270.230वर्गमीटर	13049.352वर्गमीटर	84.05मीटर	1.50/1.50
39	टावर जैड8, 2वेसमेण्ट+स्टिल्ट/भूतल+29	1270.230वर्गमीटर	14437.971वर्गमीटर	93.20मीटर	1.50/1.50
40	ईडब्लूएस एण्ड एलआईजी, भूतल+14/15 तल	3864.469वर्गमीटर	44428.881वर्गमीटर	45.90मीटर	1.50मीटर चौड़ाई की सड़क
41	स्कूल, भूतल+6 तल	1944.163वर्गमीटर	20405.040	26.40मीटर	2.0/2.0/2.0 2.0
42	कामर्शियल1,2 एवं 3, भूतल	2904.106 वर्गमीटर	2904.108 वर्गमीटर	3.20मीटर	भवन भूतल पर प्रस्तावित

भवन का अधिमोग एवं हैजाई श्रेणी:-प्रश्नगत भवन का अधिमोग आवासीय अपार्टमेण्ट (एन0बी0सी0-2005 आवासीय श्रेणी ए-4)के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। प्रस्तुत मानचित्रों के अनुसार दोनों वेसमेण्ट तथा स्टिल्ट का प्रयोग पार्किंग हेतु एवं शेष सभी तलों का प्रयोग आवासीय हेतु किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त परिसर में स्कूल, मर्केण्टाईल(कामर्शियल1 टावर बी1 एवं बी2 से, कामर्शियल2 टावर सी1 एवं सी2 से तथा कामर्शियल3 टावर पी1,पी2 एवं पी3 से जुड़ा हुआ है), तथा 02 कम्यूनिटी (कम्यूनिटी1 टावर सी14 एवं सी15 तथा कम्यूनिटी2 टावर जैड7 एवं जैड8 से जुड़ा हुआ है) प्रस्तावित है।

ढाँचागत व्यवस्था :-

- 1-पहुँच मार्ग:- मानचित्रों में भूखण्ड के सामने रोड की चौड़ाई 75.0 मीटर प्रदर्शित है।
- 2-प्रवेश/निकास द्वार:- मानचित्रों में प्रवेश द्वार/निकास द्वार की चौड़ाई 9.0 मीटर प्रदर्शित है।
- 3-सैटबैक :-परिसर में सैटबैक का विवरण निम्नवत है।

ए0-अग्रभाग-16.0मीटर।

बी0-प्र ठ भाग-12.64मीटर

सी0-पार्श्व भाग प्रथम-12 मीटर 40.9 मीटर स्कूल का सैटबैक, स्कूल सीमा से पृथक-16 मीटर।

डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-ईडब्लूएस/एलआईजी के पास 14.0 मीटर अन्य जगह-16 मीटर।

परिसर में अग्निशमन वाहनों के आवागमन हेतु टावरों के निकट 9.0 मीटर मोटरेबुल मार्ग तथा ईडब्लूएस/एलआईजी एवं स्कूल 01 के चारों ओर न्यूनतम 6.0 मीटर मोटरेबुल प्रस्तावित है। यह मार्ग सदैव अवरोध रहित (ओपन टू स्काई) रखे जाने अनिवार्य होंगे। भवन की ऊँचाई के सापेक्ष वांछित सैटबैक के सम्बन्ध में निर्णय उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद इकाई वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा लिया जाना अपेक्षित है।

स्कूल का सैटबैक :-

ए0-अग्रभाग-वांछित 9.0मीटर से कहीं अधिक।

बी0-प्रष्ठ भाग लगभग 12.0मीटर।

सी0-पार्श्व भाग प्रथम-12.28मीटर।

डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-9.0मीटर।

- 4-निकास मार्ग :-भवन के सभी तलों में उपरोक्त तालिकानुसार स्टेयरकेस प्रस्तावित है। भवन का निर्माण पूर्ण होने पर इनकी चौड़ाई मानचित्र में प्रदर्शित चौड़ाई से कम नहीं होनी चाहिए। फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है। प्रत्येक फायर स्टेयर में 02 घण्टे फायर रेटिंग के फायर रजिडोर लगाये जाने अनिवार्य होंगे।

- लिफ्ट:- न्यूनतम एक लिफ्ट को एन0बी0सी0 मानकों के अनुरूप फायर लिफ्ट के रूप में बनाया जाना अनिवार्य होगा।

5-रिफ्यूज एरिया का विवरण:- भवन में प्रत्येक फ्लैट में बालकनी का प्राविधान प्रस्तावित है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था :- नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 के अनुसार तथा भवन की महत्वा पूर्ण फायर रिक को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएं कराया जाना वांछनीय है।

- 1-भूमिगत टैंक:-भूमिगत टैंक 100000 लीटर क्षमता का वांछित है।

अपर बसमण्ट में बनाया जाय तथा इस बसमण्ट से 2घण्ट फायर राटग वाल से पृथक करत हुए अलग से एक स्टयर दी जाय।

3-होजरील :- भवन में होजरील लैण्डिंग वाल्व आई0एस0-3844 मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना वांछनीय है।

4-वेटराईजर :- भवन में वेटराईजर सिस्टम एन0बी0सी0-2005 के मानकों के अनुसार वांछनीय है।

5-यार्ड हाईड्रेन्ट सिस्टम :-प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाईड्रेन्टस होज कैबिनेट एवं उसमें होज तथा ब्रॉच पाईप तथा फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान आई0एस0-13039:1991 के अनुसार वांछनीय है।

6-हस्तचालित इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:-मैन्यूअली आपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार वांछनीय है।

7-स्वचालित डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:- 60मीटर से अधिक ऊँचाई वाले सभी भवनों में आटोमैटिक डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना वांछनीय है।

8-स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम:- बेसमेण्ट एवं स्टिल्ट सहित सम्पूर्ण भवन में आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना वांछनीय है।

9-टैरिस टैंक :- प्रत्येक ब्लॉक की टैरिस पर 25,000 लीटर क्षमता का टैरिस टैंक स्थापित कराया जाना वांछनीय है।

10-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर्स):- सम्पूर्ण भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर्स आई0एस0-2190 के अनुसार स्थापित कराया जाना वांछनीय है।

11-स्मोक एक्सट्रैक्शन :- प्रश्नगत भवन के दोनों बेसमेण्ट हेतु पृथक-पृथक डक्ट बनाकर स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक है।

12-एग्जिट साईनेज :-सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साईनेज स्थापित कराया जाना वांछनीय है।

13-पी0ए0सिस्टम :-सम्पूर्ण भवन में पी0ए0सिस्टम की व्यवस्था स्थापित करते हुए भवन के सभी तलों के कॉमन एरिया में लाउडस्पीकर लगाये जायें तथा पी0ए0 सिस्टम की कंट्रोल स्विच एवं माईक्रोफोन, एम्पलीफायर नियन्त्रण कक्ष (कंट्रोल रूम/सुरक्षा कक्ष) में अनिवार्य रूप से स्थापित कराया जाये। नियन्त्रण कक्ष में लिफ्ट की इन्टरकम्यूनिकेशन सिस्टम के साथ-साथ सभी अपरिसमक सेवाओं से सम्बन्धित संचार सुविधा उपलब्ध रहे।

उपरोक्तानुसार मैसर्स प्रतीक रिजल्ट्स इण्डिया लि. द्वारा प्लॉट नं0-4/बीएस-01 एवं 4/बीएस-05 सिद्धार्थ विहार एनएच-24 गाजियाबाद पर अस्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने हेतु संस्तुति इस तत् के साथ की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान प्रस्तुत मानचित्र, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पूर्व भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अस्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा भवन निर्माण हेतु निर्गत किया जाने वाला अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

भवन का अग्निभोग विवरण:- प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी-2005 आवासीय श्रेणी ए0-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्था:-

1-पहुंच मार्ग:- भूखण्ड के सामने रोड की चौड़ाई 30 मी0 मानकों के अनुसार अंकित की गई है, जो भवन विनियमवली के मानकों के अनुसार है।

2-प्रवेश द्वार:-प्रश्नगत भवन में प्रवेश द्वार की चौड़ाई-06.00 मी0 है।

3-सैटवेक:- प्रश्नगत भवन परिसर में 15.00 मी0 सैटवेक प्रदर्शित है। सैटवेक के अन्तर्गत जाने वाले अतिरिक्त निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा लिया जाना अपेक्षित है।। प्रश्नगत भवन की चौड़ाई ओर 06 मीटर हार्ड मोटरेबुल ओपन टू स्काई मार्ग प्रदर्शित है। जिसे सदैव अवरोध रहित रखा जाना अनिवार्य होगा। जिसमें किसी प्रकार का अस्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमत्य नहीं होगा।

3-निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर में स्टेयरकेश तालिकानुसार प्रस्तावित है, जिनकी फ्लोर व समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमत्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप में निर्मित किया जायेगा।

4-रिफ्यूज एरिया:- भवन में रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट में बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था :- नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना वांछनीय है।

2-हाजराल :- भवन में हाजराल लाण्डिंग वाल्व आईएसओ-3844 मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना वॉच्छनीय है।

3-वेटराइजर :- भवन में वेटराइजर सिस्टम एन0बी0सी0-2005 के मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना वॉच्छनीय है। है।

4-यार्ड हाईड्रेंट सिस्टम :- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाईड्रेंटस होज कैबिनेट एवं उसमें होज तथा ब्रॉच पाईप तथा फायर सर्विस इन्लेट आईएसओ-13039:1991 के अनुसार स्थापित कराया जाना वॉच्छनीय है।

5-स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम:- दोनों बेसमेन्ट तथा 45.0 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले भवनों में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना वॉच्छनीय है। बेसमेन्ट में वाटर कर्टेन का प्राविधान एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार करना अनिवार्य होगा।

6-हस्तचालित इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन में मैन्यूअली आपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक है।

7-भूमिगत टैंक- प्रश्नगत भवन में अग्निशमन कार्यों हेतु 2.00.000 लीटर क्षमता के 02 अदद भूमिगत टैंक स्थापित कराया जाना वॉच्छनीय है।

8-पम्प-प्रत्येक भूमिगत टैंक के पास 2280 एलपीएम क्षमता के 02 अदद विद्युत चालित पम्प एवं सामान क्षमता का डीजल चालित पम्प, तथा 180 एलपीएम क्षमता का जौकी पम्प स्थापित कराया जाना आवश्यक है।

9-टैरिस टैंक:- प्रत्येक टावर/ब्लॉक में भवन की टैरिस पर 10.000 लीटर क्षमता का टैरिस टैंक स्थापित कराया जाना कराया जाना आवश्यक है।

10-स्मोक एक्सट्रैक्शन:- भवन के दोनों बेसमेन्ट हेतु पृथक-पृथक डक्ट बनाकर स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना वॉच्छनीय है। साधारण फ्लूअरिस्ट फैन स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम के विकल्प के रूप में अनुमन्य नहीं है।

11-एग्जिट साईनेज:- सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साईनेज स्थापित कराया जाना आवश्यक है।

12-पी0ए0सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन में पी0ए0सिस्टम की व्यवस्था स्थापित करते हुए भवन के सभी तलों के कॉमन एरिया में लाउडस्पीकर लगाये जायें तथा पी0ए0 सिस्टम का कंट्रोल स्विच एवं माईक्रोफोन, एम्पलीफायर नियन्त्रण कक्ष (कण्ट्रोल रूम/सुरक्षा कक्ष) में अनिवार्य रूप से स्थापित कराया जाये। नियन्त्रण कक्ष में लिफ्ट के इन्टरकम्यूनिकेशन सिस्टम के साथ-साथ सभी आफिसिंग रूमाओं से सम्बन्धित संचार सुविधा उपलब्ध रहे।

13-प्रेशराइजेशन प्रणाली:-लिफ्ट आदि वॉच्छनीय स्थानों पर प्रेशराइजेशन प्रणाली का प्राविधान एन0बी0सी0 2005 के मानकों के अनुसार अनिवार्य रूप से कराई जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन में फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अभिरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानकों के अनुसार वॉच्छनीय होगी यदि किसी प्रकार की निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स प्रतीक रियल्टर्स प्रा0लि0, द्वारा प्लॉट न0-04/बीएस-01 व 04/बीएस-02, सिद्धार्थ विहार एन0एच0-24जिला गाजियाबाद में प्रस्तावित गुप हाउसिंग भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजन्स अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया-2006 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करना पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र अदद।

(पी0के0एस)
सयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
एन0एच0 लखनऊ।

प्रतिलिपि:1-उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को सूचनाार्थ।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गाजियाबाद को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3-अग्निशमन अधिकारी कोतवाली, को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4-मैसर्स प्रतीक रियल्टर्स प्रा0लि0, द्वारा प्लॉट न0-04/बीएस-01 व 04/बीएस-02, सिद्धार्थ विहार एन0एच0-24जिला गाजियाबाद को अनुपालनार्थ।